




डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/शैक्ष०/ 496 /2023

दिनांक: 9 -02-2023


कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के विनियम, 2018 के सापेक्ष शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1190/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 15 अक्टूबर 2019 की धारा 15 (ii) के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की संस्तुति तथा कुलपति महोदया के अनुमोदनोपरान्त सत्र-2021 के लिए सम्पन्न पी०एच०डी० प्रवेश प्रक्रिया में पंजीकृत एवं सम्मिलित होने वाले राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत स्थायी शिक्षकों को पी०एच०डी० में सम्बन्धित विषयों में रिक्त सीटों पर अथवा अधिसंख्य सीटों पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त संकायाध्यक्ष।
2. समन्वयक पी०एच०डी० प्रवेश परीक्षा सत्र-2021 को इस आशय से प्रेषित कि तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर ई०डी०पी० को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय के बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।


कुलसचिव